

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2022/291

विषय- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विवेदन है कि प्रार्थी श्री पूजा
पिता भूषा जाति बैरवा निवासी लोखा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला
है। प्रार्थी की जाति ग्राम लोखा पटवारी मण्डल लोखा के खाता संख्या 233 में चमार
दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी



रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक

श्री पूजा

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री पूजा पिता भूषा की
ग्राम लोखा प.0म0 लोखा के खाता संख्या 233 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की
वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा
करें।

पटवारी
पटवारी लोखा
प.0म0 लोखा
मू0ज0नि0
वृत्त लोखा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री पूजा पिता भूषा की
ग्राम लोखा प.0म0 लोखा के खाता संख्या 233 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की
सिफारिश की जाती है ।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आदेश

22/6/22
24/6/22

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिपंशा के प्रार्थी
श्री पूजा पिता भूषा की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम लोखा
प.0म0 लोखा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 233 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश
दिया जाता है। अतः तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।

प्रमोदी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)